



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1934 (श0)
(सं0 पटना 292) पटना, शुक्रवार, 29 जून 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

29 जून 2012

सं० एल0जी०-1-03/2010/लेज-333—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 04 जून 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बिनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2012]

रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010
बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम, 16, 1908) की धारा-8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी-

“8- उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी- (1) राज्य सरकार एक या अधिक उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण कर सकेगी।

(2) ऐसे सभी उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे।

(3) राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की कुछ या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।”

3. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 की उप-धारा (1) का खंड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“(घ) अचल संपत्ति के पट्टे; एवं”

4. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संशोधन।- “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-18 का खंड (ग) विलोपित किया जाएगा।”

5. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संशोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-

“ परन्तु ऐसे दस्तावेज जिला मुख्यालय के अवर निबंधक, जिसका कार्यालय निबंधक के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है और जिसके जिला के क्षेत्राधिकार में दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण सम्पत्ति अवस्थित हो, भले ही वह एक या एक से अधिक उप जिले में अवस्थित हो, के समक्ष भी उपस्थापित किए जा सकेंगे।”

6. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संशोधन।- “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-30 का कोष्ठक सहित अंक “(1)” विलोपित किया जाएगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 बिनोद कुमार सिन्हा,
 सरकार के सचिव।

29 जून 2012

सं० एल०जी०-1-03/2010/334/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून 2012 को अनुमत रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 बिनोद कुमार सिन्हा,
 सरकार के सचिव।

[Bihar Act 11, 2012]
REGISTRATION (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2010
AN
ACT
TO AMEND THE REGISTRATION ACT, 1908
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows: --

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) This Act may be called the Registration (Bihar Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Substitution of Section-8 of Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).*— Section-8 of the Registration Act, 1908 shall be substituted as follows: -

“8- Deputy Inspector General of Registration and Other Officers- (1) the State Government may also appoint one or more Deputy Inspector General of Registration and Assistant Inspector General of Registration and may prescribe the duties of such officers.

(2) Every such Deputy Inspector General of Registration and Assistant Inspector General of Registration shall be subordinate to the Inspector General of Registration.

(3) The State Government may also authorise such officers to perform all or some of the duties of Inspector General of Registration.”

3. *Substitution of clause (d) of sub-section (1) of Section-17 of Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).*— Clause (d) of sub-section (1) of Section-17 shall be substituted as follows: --

“(d) leases of immovable property; and”

4. *Amendment of clause (c) of Section-18 of Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).*— “Clause (c) of Section 18 shall be deleted.”

5. *Amendment of Section-28 of the Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).*— In Section-28 of the Registration Act, 1908 the following proviso shall be added as follows: --

“Provided that such documents may also be presented in the office of the sub-registrar of the district headquarters whose office has been amalgamated with the office of Registrar under Section-7 and within whose district the whole of the property to which such document relates is situate irrespective of its being situated in one or more sub-districts of the district.”

6. *Amendment of Section-30 of the Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).*— “Bracket along with figure “(1)” of Section-30 of Registration Act, 1908 shall be deleted.”

By order of the Governor of Bihar,
 BINOD KUMAR SINHA,
 Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 292-571+400-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>